शासन द्वारा मान्यता प्राप्त !!संघे शक्ति कलयुगे!! पंजीयन क्र.03473/12/11/73

मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रान्ताध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
मोबा.: 9425331737

कार्यालय :
एफ–2, सहयाद्री परिसर, फेस–2,
भदभदा रोड़, भोपाल (म.प्र.)
mppatwarisanghbhopal@gmail.com

निवास :
पानी टंकी के पास न्यू बस स्टेण्ड
दक्षिण करौदिया जिला–सीधी (म.प्र.)
E-mail: baghel.upendra@yahoo.in

क्रमांक 0247/पट.संघ/2025 दिनांक 08/09/2025

प्रति,

आयुक्त महोदया,
भू-अभिलेख मध्यप्रदेश,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय : webgis 2.0 में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

सन्दर्भ: MPLRS में आयोजित मीटिंग दिनाँक 03/09/2025, टेक्निकल टीम म0प्र0 पटवारी संघ भोपाल (म0प्र0)

—0—

उक्त विषयान्तर्गत संदर्भित मीटिंग के संबंध में webgis 2.0 में आ रही समस्याओं के प्राथमिक निराकरण किये जाने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आपके द्वारा समक्ष में सुनी गई समस्याओं की व्यवहारिक कार्यवाहियों को समझकर OTP, EKYC व परिमार्जन की त्वरित निराकरण की कार्यवाही की गई जो की अत्यंत आवश्यक थी। वर्तमान में उसके अरीरिक्त भी बहुत ही आवश्यक समस्याएं हैं जिनपर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो निम्नानुसार हैं:

1. आदेश अमल में जहां भी आदेश की अनिवार्यता है वहां आवंटित ग्राम अनुसार संबंधित न्यायालय by default आना चाहिए। ताकि उसके अन्यत्र यदि कोई न्यायालय की प्रविष्टि हो तो उसको दर्ज किया जा सके। साथ ही न्यायालय में पूरे प्रदेश के जिले व तहसील व कोर्ट की जगह सम्बंधित जिले बस का आना चाहिए।
2. Ekyc, परिमार्जन तथा नामांतरण(बंटवारा) के सभी मॉड्यूल में भूमिस्वामी नाम जोड़ने या संशोधन करने में जातियों के नाम नहीं आ रहे हैं, कृपया जो जाति नहीं हैं उनके मैन्युअल प्रविष्टि का विकल्प देने का कष्ट करें।
3. Ekycसत्यापन करने में भी बार-बार सभी सहखातेदारों का परिमार्जन करना पड रहा है, जो कि कार्य को अधिक पेचीदा कर रहा है, इसको हटाने की आवश्यकता है। संस्थाओं की **KYC** नहीं हो पा रही है क्योंकि उनमें डायरेक्टर आवेदन करते हैं जबकि अभिलेख में संस्था का नाम है।
4. इतनी बारीकी से जांच और पटवारी स्तर से सत्यापन उपरांत भी परिमार्जन और ekycका अनुमोदन तहसीलदार लॉगिन पर नहीं जाना चाहिए।
5. खाता पृथक-विलय में केवल b-1 निर्माण या संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। जो 100% नाम तथा अन्य प्रविष्टि एक सी होनी पर ही किया जा सकता है को भी पटवारी id में ही अनुमोदन हो जाना चाहिए। तहसीलदार id में अनुमोदन में जाने से कार्य का समय और प्रक्रिया जटिल होती जा रही है।
6. खसरा डिलीट करने तथा खसरा जोड़ने की सभी रिक्वेस्ट तहसीलदार id से ही अनुमोदन होना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः खसरा जोड़ें वाली स्थिति में (10/2 में ही 10/2 और 10/3 जुड़े होने पर 10/2 और 10/3 पृथक कर 10/3 का निर्माण करने के लिये और 10 नम्बर का मूल नम्बर होने पर डिलीट करने का आवेदन) तहसीलदार id में ही अंतिम अनुमोदन होना चाहिए।
7. समस्त प्रकार के मॉड्यूल में अनुमोदन, लंबित, सत्यापित का विकल्प एक ही साथ है, उन्हें अलग अलग प्रदर्शित होना चाहिए जिससे अनिवार्य कार्यवाही समय से की जा सके।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल

उपेन्द्र सिंह बाघेल
प्रान्ताध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ भोपाल
मोबा.: 9425331737

कार्यालय :
एफ–2, सहयाद्री परिसर, फेस–2,
भदभदा रोड़, भोपाल (म.प्र.)
mppatwarisanghbhopal@gmail.com

निवास :
पानी टंकी के पास न्यू बस स्टेण्ड
दक्षिण करौंदिया जिला–सीधी (म.प्र.)
E-mail: baghel.upendra@yahoo.in

क्रमांक 0247/पट.संघ/2025 दिनांक 08/09/2025

8. Webgis को दो अलग अलग टैब में सक्रिय रूप से कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए।
9. आदेश अनुपालन एवं अन्य विकल्पों में नाम जोड़ने में चेक बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए। ताकि अधिक नाम होने पर समय का सदुपयोग हो और प्रक्रिया सुविधाजनक प्रतीत हो। जिससे त्रुटि होने की संभावना कम हो।परिमार्जन की तरह नामांतरण में भी अनिर्धारित हिस्सा का प्रावधान हो जिससे कार्य आसानी से किया जा सके।
10. ई-बस्ता के संबंध में वांछित सुधार किये जाने के साथ-साथ नक्शा की shpव Pdf फाईल पटवारी लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाये।
11. पूर्व की भांति नक्शा बटांकन में बहुल नक्शा बटांकन का विकल्प हो और अनुमोदन तहसीलदार स्तर से हो। वर्तमान में जो नक्शा पोर्टल पर है उसका 1:4000 की नकल का रकवा वर्तमान रकवा से भिन्न आ रहा है उसमें भी सुधार किया जाये।साथ ही नक्शा संशोधन का विवरण भी स्पष्ट उपलब्ध हो जैसे प्रकरण, सुधार दिनांक, सुधारकर्ता पटवारी, आदि।
12. सायबर 2.0 के नामान्तरण प्रकरणो में यदि एक खसरे से 1 से अधिक रजिस्ट्री होने में 1 प्रकरण में आनलाइन रिपोर्ट लगने के बाद उसके अन्तिम आदेश होने तक दूसरे प्रकरण में आनलाइन पटवारी प्रतिवेदन दर्ज नही हो पाता है और वेबजीआईएस में उस खसरे पर कोई भी माड्यूल में कार्य नही किया जा सकता है।सायबर 2.0 के नामान्तरण प्रकरण जिनमें पटवारी द्वारा आनलाइन प्रतिवेदन दर्ज किये जाने पर वह प्रकरण सारा पोर्टल पर सूची से हट जाता है जिससे पटवारी को यह पता नही चलता कि उसके द्वारा किस किस प्रकरण में प्रतिवेदन दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण वर्तमान में कहा लम्बित है। जिससे प्रकरणो के संबंध में किसानो को उचित जानकारी उपलब्ध कराने में समस्या होती है।
13. एक ग्राम की अभी तक की सभी प्रकार की अनुमोदित, प्रेषित अथवा सत्यापित की गई सभी प्रकार की कार्यवाहियों का विवरण पटवारी लॉगिन पर हो जिसमें दिनांकवार विभिन्न पटवारियों का भी विवरण हो ताकि यह बताना आसान हो कि उक्त प्रविष्टी/संशोधन किस पटवारी द्वारा किस दिनांक को की गई थी।
14. सारा लॉगिन में भी ओ0टी0पी0 अथवा सिस्टम लॉगिन की प्राईवेसी हो क्योंकि साईबर तहसील अथवा लोकल यूथ के खाता सत्यापन जैसे संवेदनशील कार्य उसी से होते हैं।

आशा करते हैं कि पूर्व की भांति आप इन गंभीर विषयों को भी ध्यान से पढकर आवश्यक कार्यवाही कर राज्य के पटवारियों पर भारी कृपा करेंगी।

"धन्यवाद"

08/09/2025
प्रांताध्यक्ष,
मध्यप्रदेश पटवारी संघ,
भोपाल (म.प्र.)